

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1982/कार्तिक 10, 1904
No. 496] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1982/KARTIKA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्याएं दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1982

का० जा० 771 (अ) :—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी क्रिम के पशु चारे के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग), (घ), (च), (ज), (झ), और (ञ) के अधीन आदेश करने की शक्ति का प्रयोग गुजरात राज्य के कच्छ, बनावकपा, साधरकपा, मेहसाना, अहमदाबाद, बडोदा, कंसा, पंचमहल, अरोच, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, समरेशी, जामनगर, जूनागढ़ और वलसव जिलों के कलकटरो द्वारा भी किया जाएगा।

2 यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

- 1 सूखी घास
- 2 घास
- 3 चारा
- 4 घान की पुष्पल
- 5 भूसा
- 6 चूनी
- 7 कड़वी
- 8 करव और करवी।

[फा० सं० 32-1/80-एल जी II]

पी० एस० कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 1st November, 1982

S.O. 771(E)—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Collectors in the Districts of Kutch, Banaskantha, Sabarkantha, Mehsana, Ahmedabad, Baroda, Kaira, Panchmahals, Bharuch, Rajkot, Surendranagar, Bhavnagar, Amreli, Jamnagar, Junagadh and Valsad.

This Order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st July, 1983.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- 1 Hay
- 2 Grass
- 3 Chana
- 4 Paddy straw
- 5 Bhusa
- 6 Chuni
7. Kadabi
8. Karab and Karabi

[No 32 1/80 LDH]

P S KOHLI, Addl Secy.